रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936
No. 334] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

पांडियन ग्राम बैंक

(प्रशासनिक कार्यालय)

अधिसूचना

विरुधुनगर, 20 अक्तूबर, 2014

सं. पीएडी/एमओएफ–डीएफएस/02/2014–15.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदान किए गए शक्ति का प्रयोग करते हुए पांडियन ग्राम बैंक के निदेशक मंडल ने, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जो प्रायोजक बैंक है और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद और केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति के साथ पांडियन ग्राम बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में संशोधन करने हेतु एतदद्वारा निम्न विनियम करता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमनों को पांडियन ग्राम बैंक स्टाफ (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकता है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पांडियन ग्राम बैंक स्टाफ (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप (1) में खंड (जी) के लिए (जिसे अब से कथित विनियम कहा जाएगा), निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(जी) ''सक्षम प्राधिकारी'' अर्थात्:-

''(i) अधिकारी स्केल III एवं IV के संबंध में अध्यक्ष

(ii) अधिकारी स्केल I एवं II के संबंध में महा प्रबंधक; और

(iii) समूह 'बी' कार्यालय सहायक (बहु-उद्देश्यीय) और समूह 'सी' कार्यालय परिचर (बहु-उद्देश्यीय) से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में स्केल-IV रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं जैसा कि मंडल द्वारा निर्णय किया गया है।''

3. कथित विनियम के विनियम 50 में, उपबंध (i) व (ii) के लिए, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) मंडल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी हैं;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं; और

(iii) महाप्रबंधक, जहां उप-विनियम 2 के खंड (जी) के उपबंध (ii) के अंतर्गत मंडल द्वारा सक्षम प्राधिकारी के बारे में निर्णय लिया जाता है।"

एस. कार्तिकेयन, अध्यक्ष

[विज्ञा.–III/4/असा./365/14]

पाद टिप्पणी : अधिसूचना संख्या 327 दिनांकित 15–12–2010 द्वारा प्रधान विनियम प्रकाशित।

PANDYAN GRAMA BANK

(Administrative Office)

NOTIFICATION

Virudhunagar, the 20th October, 2014

No. PAD/MOF-DFS/02/2014-15.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Pandyan Grama Bank, after consultation with Indian Overseas Bank being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Pandyan Grama Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely :—

1. (1) These regulations may be called Pandyan Grama Bank Staff (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Pandyan Grama Bank Staff (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

(g) "Competent Authority" means :—

"(i) The Chairman in respect of Officer Scale III and IV

(ii) General Manager in respect of Officer Scale I and II; and

(iii) An Officer not below the rank of Scale–IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the BOARD",

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where Competent Authority is decided by the Board under sub clause (ii) of clause (g) of sub regulation 2".

S. KARTHIKEYAN, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./365/14]

Foot Note : The Principal Regulations published vide notification No. 327 dated 15.12.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.